email- rorpcb.jai@gmail.com
Tele : 02992 –294066

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Field Hostel of Indira Gandhi Nahar Pariyojna Residential Colony,Jaisalmer-345001 (Rajasthan)

RO/RPCB/Gen/Jai/NGT/601-605 **Date:-02/02/2023**

To,
The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.
Email- judicial-ngt@gov.in

Sub:-Compliance report incompliance of Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, New Delhi order dated 31/01/2023 in the Matter of Original Application. No. 76/2023 Tapeshwar Singh Bhati V/s State of Rajasthan.

Respected Sir,

With reference to above cited subject, please find enclosed herewith the Compliance report to Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, New Delhi order dated 31/01/2023 in the Matter of Original Application. No. 76/2023 Tapeshwar Singh Bhati V/s State of Rajasthan
Enclosed- As above.

Yours faithfully

(Shilpi Sharma)
E.E & Regional Officer

Copy to:-

1. Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. District Collector, Jaisalmer.
3. Shri Nishant Awana, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action.
4. GIC-Legal, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur for information.

Regional Officer

Compliance Report

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, New Delhi order dated 31/01/2023

In the Matter of

Original Application. No. 76/2023

Tapeshwar Singh Bhati

Versus

State of Rajasthan

COMPLIANCE REPORT IN MATTER OF HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI ORDER DATED 31/01/2023 IN O.A NO- 76/2023, TAPESHWAR INGH BHATI VERSUS STATE OF RAJASTHAN THROUGH PRINCIPAL SECRETARY, TOURISM, RAJASTHAN.

INTRODUCTION

Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi, vide its order dated 31/01/2023, in the matter of Original Application No. 76/2023 sought factual & action taken report from PCCF Wildlife, Rajasthan, Chairman, State PCB and District Magistrate, Jaisalmer and Chairman, State PCB has been designated as the Nodal agency for compliance. (Copy of the order is enclosed at **Annexure-A and copy of nomination from respective departments is enclosed as Annexure- A-1**).

In compliance to the aforesaid order dated 31/01/2023, following officers were nominated from their respective departments to present the factual and action taken report: -

i. Sh. Arindam Tomar, PCCF (Wildlife), Rajasthan.
ii. Smt. Tina Dabi, District Magistrate, Jaisalmer, Rajasthan.
iii. Smt. Shilpi Sharma, Regional Officer, RSPCB, Jaisalmer (Raj)

BACKGROUND

The Jaisalmer Desert Festival or the Maru Mahotsav is an annual event organized by the Rajasthan Tourism Development Authority. This festival is held every year in the Hindu month of Magh(February), three days prior to the full moon. This festival is celebrated from the past 40-45 years to showcase and uplift the cultural heritage of Jaisalmer. Generally, the activities of the first two days of the festival takes place In Jaisalmer city and the last day's activities are conducted at Sam sanddunes.

ALLEGATIONS IN THE MATTER

- The grievance in this application is against apprehended damage to the environment by proposed activities during 'Maru Mahotsav 2023' at Jaisalmer from 02.02.2023 to 05.02.2023.
- The applicant has stated that on 4th and 5th February, 2023 after sunset, cultural program is to be held which will involve fireworks, laser beams and sound systems at high volume.
- The program is to be held at Sam and Khuhdi Dunes near Jaisalmer, close to the Desert National Park (DNP), Jaisalmer

and 200-400 meters from bird sanctuary with endangered Great Indian Bustard (GIB), (also known as Godawan). The proposed activities will adversely affect the wildlife, the bird sanctuary and the environment.

- Deputy Conservator of Forest, (Wildlife) Jaisalmer vide letter dated 12-01-2023 has also expressed concern about the above issue but the Tourism Department of Rajasthan is going ahead with the same in violation of provisions of the Wildlife Act, 1972. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-A-2**.

COMPLIANCES & ACTION TAKEN REPORT

- As per the press release by the State Tourism Department, Tourist Reception Centre, Jaisalmer dated 01/02/2023, cultural activities proposed at Khuhdi and Sam sand dunes on 04-05/02/2023 shall now be held at Shahid Poonam Singh Stadium Jaisalmer. Copy of the press release is enclosed as **Annexure-A-3**.
- Thus, all the activities as per the allegations due to which environmental damage has been proposed has been shifted.
- As per the records, only night Astro- tourism and camel safari shall be carried out at Khuhdi and Sam sand dunes during the Maru Mahotsav, 2023.
- Regional Office, RSPCB, Jaisalmer has issued intimation letter dated 02/02/2023 to Assistant Director, Tourism Department, Office of District Collector, Jaisalmer and Zilla Parishad, Jaisalmer to make necessary arrangements for compliance of Municipal Solid Waste Rules, 2016, Plastic Waste Rules, 2016, and Water Act, 1974. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-A-4.**
- The report submitted by District Magistrate, Jaisalmer to Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi in the above matter is enclosed as **Annexure-A-5.**

(Shilpi Sharma)
RO, RPCB Jaisalmer

C/s

Chairperson , RSPCB

Compliance Report

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench, New Delhi order dated 31/01/2023

In the Matter of

Original Application No. 76/2023

Tapeshwar Singh Bhati

Versus

State of Rajasthan

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जैसलमेर (राज.)

COMPLIANCE REPORT IN MATTER OFHON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT) PRINCIPAL BENCH, NEW DELHIORDER DATED 31/01/2023 IN O.A NO- 76/2023, TAPESHWAR INGH BHATI VERSUS STATE OF RAJASTHAN THROUGH PRINCIPAL SECRETARY, TOURISM, RAJASTHAN.

INTRODUCTION

Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi, vide its order dated 31/01/2023, in the matter of Original Application No.76/2023sought factual & action taken report from PCCF Wildlife, Rajasthan, Chairman, State PCB and District Magistrate, Jaisalmer and Chairman, State PCB has been designated as the Nodal agency for compliance. (Copy of the order is enclosed at **Annexure-A and copy of nomination from respective departments is enclosed as Annexure-A-1**).

In compliance to the aforesaid order dated 31/01/2023, following officers were nominated from their respective departments to present the factual and action taken report: -

i. Sh. Arindam Tomar, PCCF (Wildlife), Rajasthan.
ii. Smt. Tina Dabi, District Magistrate, Jaisalmer, Rajasthan.
iii. Smt. Shilpi Sharma, Regional Officer, RSPCB, Jaisalmer (Raj)

BACKGROUND

The Jaisalmer Desert Festival or the Maru Mahotsav is an annual event organized by the Rajasthan Tourism Development Authority. This festival is held every year in the Hindu month of Magh(February), three days prior to the full moon. This festival is celebrated from the past 40-45 years to showcase and uplift the cultural heritage of Jaisalmer. Generally, the activities of the first two days of the festival takes place In Jaisalmer city and the last day's activities are conducted at Sam sanddunes.

ALLEGATIONS IN THE MATTER

- The grievance in this application is against apprehended damage to the environment by proposed activities during 'Maru Mahotsav 2023' at Jaisalmer from 02.02.2023 to 05.02.2023.

- The applicant has stated that on 4th and 5th February, 2023 after sunset, cultural program is to be held which will involve fireworks, laser beams and sound systems at high volume.

- The program is to be held at Sam and Khuhdi Dunes near Jaisalmer, close to the Desert National Park (DNP), Jaisalmer

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जैसलमेर (राज.)

and 200-400 meters from bird sanctuary with endangered Great Indian Bustard (GIB), (also known as Godawan). The proposed activities will adversely affect the wildlife, the bird sanctuary and the environment.

- Deputy Conservator of Forest, (Wildlife) Jaisalmer vide letter dated 12-01-2023 has also expressed concern about the above issue but the Tourism Department of Rajasthan is going ahead with the same in violation of provisions of the Wildlife Act, 1972. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-A-2**.

COMPLIANCES & ACTION TAKEN REPORT

- As per the press release by the State Tourism Department, Tourist Reception Centre, Jaisalmer dated 01/02/2023, cultural activities proposed at Khuhdi and Sam sand dunes on 04-05/02/2023 shall now be held at Shahid Poonam Singh Stadium Jaisalmer. Copy of the press release is enclosed as **Annexure-A-3**.
- Thus, all the activities as per the allegations due to which environmental damage has been proposed has been shifted.
- As per the records, only night Astro- tourism and camel safari shall be carried out at Khuhdi and Sam sand dunes during the Maru Mahotsav, 2023.
- Regional Office, RSPCB, Jaisalmer has issued intimation letter dated 02/02/2023 to Assistant Director, Tourism Department, Office of District Collector, Jaisalmer and Zilla Parishad, Jaisalmer to make necessary arrangements for compliance of Municipal Solid Waste Rules, 2016, Plastic Waste Rules, 2016, and Water Act, 1974. Copy of the letter is enclosed as **Annexure-A-4.**
- The report submitted by District Magistrate, Jaisalmer to Hon'ble NGT Principal Bench New Delhi in the above matter is enclosed as **Annexure-A-5.**

शिल्पी

(Shilpi Sharma)
RO, RPCB Jaisalmer

क्षेत्रीय अधिकारी
राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जैसलमेर (राज.)

C/s

Chairperson, RSPCB

Annexure-A

Item No. 13 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 76/2023

Tapeshwar Singh Bhati,
159, Timber Scrap Market, Kota, Rajasthan Applicant

Versus

State of Rajasthan through Principal Secretary,
Toursim, Rajasthan Respondent

Date of hearing: 31.01.2023

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

ORDER

1. Grievance in this application is against apprehended damage to the environment by proposed activities during 'Maru Mahotsav 2023' at Jaisalmer from 02.02.2023 to 05.02.2023. The applicant has stated that on 4th and 5th February, 2023 after sunset, cultural program is to be held which will involve fireworks, laser beams and sound systems at high volume. Ten to fifteen thousand persons are likely to attend. The program is to be held at Sum and Khuhdi Dunes near Jaisalmer, close to the Desert National Park (DNP), Jaisalmer and 200-400 meters from bird sanctuary with endangered Great Indian Bustard (GIB), (also known as *Godawan)*. The proposed activities will adversely affect the wildlife, the bird sanctuary and the environment. Deputy Conservator of Forest, Wildlife Forest has also expressed concern about the above issue but the Tourism Department of Rajasthan is going ahead with the same in violation of provisions of the Wildlife Act, 1972. The applicant has annexed copy of letter dated 12.01.2023 addressed to the Collector, Jaisalmer by the Deputy

Conservator of Forest, Wildlife Forest, Jaisalmer recommending that fireworks, laser show and sound activities in the area should be avoided.

2. From the above, we are satisfied that substantial question of environment arises which may call for intervention of this Tribunal under Section 15 of the NGT Act, 2010. Apart from disturbance to the wildlife and the eco system of dunes by fireworks, laser show and high volume sound to which objection has been raised by the wildlife department, adequacy of sanitation and hygiene is to be ascertained when such large gathering will assemble. Further issue of adverse impact of unregulated use of Vehicles and consequent generation of dust and smoke and impact on camels has also to be looked into.

3. To further consider the above issues, we call for a factual and action taken report in the matter from PCCF Wildlife, Rajasthan, Chairman, State PCB and District Magistrate, Jaisalmer by 3rd February, 2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Chairman, PCB will be the nodal agency for compliance. Proceedings may be conducted on line or offline as viable. Notice be also issued to the project proponent - Principal Secretary, Tourism, Rajasthan by email for its response, if any which can also be given by email. The authorities may take such action in the matter as is necessary to comply with the Rule of Law and for protection of wildlife and environment and the Desert National Park without waiting for further orders also.

List for further consideration on 03.02.2023. The District Magistrate, Jaisalmer may remain present in person through video conferencing.

A copy of this order alongwith a copy of Application be forwarded to PCCF Wildlife, Rajasthan, Chairman, State PCB, Principal Secretary

Tourism, Rajasthan and District Magistrate, Jaisalmer by email for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 31, 2023
Original Application No. 76/2023
AB

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.
Phone : 0141- 2716804, 2716811 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in
Helpline No. : 0141-2716877

Email

No. F.10 (481) RPCB/Legal/NGT/2023/ 1441 Date: 01/02/23

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaisalmer.

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 31.01.2023 in Original Application no. 76/2023 Tapeshwar Singh Bhati Vs State of Rajasthan & Others.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 31.01.2023 directed as follow:-

"3. To further consider the above issues, we call for a factual and action taken report in the matter from PCCF Wildlife, Rajasthan, Chairman, State PCB and District Magistrate, Jaisalmer by 3rd February, 2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. Chairman, PCB will be the nodal agency for compliance. Proceedings may be conducted on line or offline as viable. Notice be also issued to the project proponent – Principal Secretary, Tourism, Rajasthan by email for its response, if any which can also be given by email. The authorities may take such action in the matter as is necessary to comply with the Rule of Law and for protection of wildlife and environment and the Desert National Park without waiting for further orders also.

List for further consideration on 03.02.2023. The District Magistrate, Jaisalmer may remain present in person through video conferencing."

You are hereby appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to coordinate with the forest department and District Magistrate and file the factual and action taken report as directed by the Hon'ble Tribunal. The Hon'ble NGT order dated 31.01.2023 alongwith complaint is enclosed herewith for ready reference.

Enclosed-As above

Yours sincerely,

(B. Praveen)
Member Secretary O/C

Annexure-A-3

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, गड़सीसर रोड़, जैसलमेर
दुरभाष नं0 02992–252406, e-mail i.d.- Trcjaisalmer-dot@rajasthan.gov.in

कमांक–प.स्वा.के. / जैसल / 2023 / 200 — दिनांक – 01.2.2023

–:प्रेस विज्ञप्तिः–

पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान के मरू महोत्सव, 2023 का आयोजन दिनांक 02 से 05 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है।

मरू महोत्सव, 2023 के दौरान दिनांक 04.02.2023 को खुहडी एवं दिनांक 05.02.2023 को सम में प्रस्तावित सांस्कृतिक संध्या कार्यकमों का अपरिहार्य कारणों से स्थान परिवर्तन किया गया है।

उक्त सांस्कृतिक संध्या कार्यकम अब दिनांक 04.02.2023 एंव दिनांक 05.02.2023 को शहीद पूनमसिंह स्टेडियम, जैसलमेर में आयोजित होंगे।

दिनांक 04.02.2023 को खुहडी में प्रस्तावित निःशुल्क केमल सफारी, नाइट एस्ट्रों ट्युरिज्म एवं दिनांक 05.02.2023 को कुलधरा, खाभा, लाणेला में प्रस्तावित कार्यकम तथा रंगोली, मांडणा, लाइव सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, घुडदौड, ऊंट दौड, ऊंट नृत्य एवं रात्री एस्ट्रोट्रिज्म जैसी गतिविधियां यथावत रूप से इन्ही स्थानों पर संपादित की जावेगी।

(कृष्ण कुमार)
सहायक निदेशक

कमांक–प.स्वा.के. / जैसल / 2023 / 201-02 — दिनांक – 01.2.2023

प्रतिलिपिः–

1. जिला कलक्टर, जैसलमेर
2. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर।

सहायक निदेशक

Annexure-A-2

राजस्थान सरकार वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ ( )/विविध/उवसंवजीजै/2022–23/ 93–101 दिनांक 12-01-2023

निमितः–

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यावरण समिति,
जैसलमेर

विषयः– मरू महोत्सव 2023 के दौरान राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य क्षेत्र में स्थित सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहड़ी सेण्ड ड्यून्स पर आतिशबाजी, तेज प्रकाश लाईट व तेज ध्वनि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि पूर्व में आयोजित होने वाले मरू महोत्सव आयोजनों में जिला प्रशासन मरू महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर किया जाता है जिसमें तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटों), तेज ध्वनि के स्त्रोंतों (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग किया जाता रहा है। चूंकि उक्त सेंड ड्यून्स अभयारण्य का अथवा अभयारण्य के ईको–सेंसिटीव जोन का हिस्सा है इसलिए उक्त गतिविधियों से वन्यजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही उक्त गतिविधियॉ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1956 के तहत प्रतिबंधित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आयोजित होने वाले मरू महोत्सव की रूपरेखा व स्थान अभयारण्य क्षेत्र के वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता को अपनाते हुए वन्यजीवों को हो सकने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर करें व राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य क्षेत्र के आसपास सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहड़ी सेण्ड ड्यून्स पर मध्य रात्रि के समय तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटों), तेज ध्वनि के स्त्रोंतों (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग नहीं करें।

साथ ही ड्यून्स के समीप स्थित रिसोर्ट संचालकों को साफ–सफाई, आतिशबाजी, तेज प्रकाश वाली लाईटों एवं तेज ध्वनि के यंत्रों का प्रयोग भविष्य में नहीं किए जाने हेतु पाबन्द करवाने का कष्ट करावें जिससे की अभयारण्य क्षेत्र में प्रवास करने वाले वन्यजीवों पर विपरित प्रभाव न पड़े।

भवदीय

Ashish

उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ ( )/विविध/उवसंवजीजै/2022–23/93-101 दिनांक 12-01-2023

प्रतिलिपिः

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक, जैसलमेर–सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, जैसलमेर।
4. उपनिदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, जैसलमेर।
5. उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
6. तहसीलदार, जैसलमेर/सम।
7. अध्यक्ष, सम वेलफयेर सोसायटी, जैसलमेर।

Ashish

उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर

म्याजलार रोड़, जैसलमेर–345001 (राज.) फोन एवं फैक्स–02992–252489 E-Mail:dfowljsm@gmail.com

Annexure-A-4

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूशण नियन्त्रण मण्डल
फिल्ड हॉस्टल, इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना, पुरानी कॉलोनी, जैसलमेर
राजस्थान , 345001 ई–मेल : rorpcb.jai@gmail.com

क्रमांक राप्रनिमं/क्षे.का. जैसलमेर/597 दिनांक :– 02/02/2023

श्रीमान सहायक निदेशक ,
पर्यटन विभाग, पर्यटक स्वागत केंद्र
जैसलमेर,

विषय: पर्यटन विभाग व जिला प्रसाशन द्वारा आयोजित मरू महोत्सव 2023 के सम्बन्ध में |

संदर्भ:- 1. राष्टीय हरित अधिकरण , प्रधान पीठ , नई दिल्ली द्वारा मूल परिवाद स ० 76/2023 में जारी आदेश दिंनाक 31 /01 /2023.
2. आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 200 दिनांक-01/02/2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा मरू महोत्सव 2023 के अंतर्गत दिंनाक 03/02 /2023 से 05/02/2023 के मध्य प्रस्तावित विभिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दोरान आतिशबाजी एवं साउंड सिस्टम से उत्पन ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु ध्वनि प्रदूषण अधिनियम ,2000 व जनित कचरा का ठोस अपशिष्ट प्रवंधन अधिनियम, 2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 तथा जनित उचिष्ठ का जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत पालना करना सुनिश्चित करवाए ताकि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके|

उक्त अधिनियमो की अवेहलना पाए जाने राज्य मंडल द्वारा आपके विरुद्ध विधि समत कार्यवाही अमंल में लायी जाएगी द्य

धन्यवाद।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

शिल्पी

(शिल्पी शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1- श्रीमान् जिला कलेक्टर,जैसलमेर|
2- श्रीमान् कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमेर|
3- श्रीमान आयुक्त नगर परिषद् , जैसलमेर |

शिल्पी

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-A-5

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, JAISALMER

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT

RELATED TO ORIGINAL APPLICATION NO. 76/2023

LISTED BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

1. Rajasthan Tourism Department & District Administration Jaisalmer is jointly hosting International Desert Festival 2023 from 2nd February 2023 to 5th February 2023.
2. District Administration received a letter from Deputy Conservator of Forest, Desert National Park dated 12/01/2023 raising objections to hosting cultural evening in Sam and Khuri Sand Dunes (copy enclosed).
3. Taking congnizance of the letter, District Environment Committee Meeting was called on 25/01/2023 and decision was taken to seek permission from Principal Chief Conservator of forest & Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur. (copy enclosed) Letter was received from Principal Chief Conservator of forest & Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur on 27/01/2023 (copy enclosed) wherein it was directed to hold cultural program outside Desert National Park boundary.
4. Thereby, in compliance, the cultural evenings proposed on 4th February 2023 and 5th February 2023 have been shifted to Shahid Poonam Singh Stadium in Jaisalmer city and no program with light, sound and firecrackers is being held in Khuri and Sam Sand Dunes by Tourism Department and District Administration on any of the festival dates.

TINA DABI
DISTRICT COLLECTOR & MAGISTRATE
JAISALMER (RAJ.)

राजस्थान सरकार वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ ( )/विविध/उवसंवजीजै/2022-23/ 93-101   दिनांक 12-01-2023

निमित:-

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला पर्यावरण समिति,
जैसलमेर

विषय:- मरू महोत्सव 2023 के दौरान राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य क्षेत्र में स्थित सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर आतिशबाजी, तेज प्रकाश लाईट व तेज ध्वनि के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि पूर्व में आयोजित होने वाले मरू महोत्सव आयोजनों में जिला प्रशासन मरू महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर किया जाता है जिसमें तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटो), तेज ध्वनि के स्त्रोंतो (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग किया जाता रहा है। चूंकि उक्त सेंड ड्यून्स अभयारण्य का अथवा अभयारण्य के ईको-सेंसिटीव जोन का हिस्सा है इसलिए उक्त गतिविधियों से वन्यजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही उक्त गतिविधियाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1956 के तहत प्रतिबंधित है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस वर्ष आयोजित होने वाले मरू महोत्सव की रूपरेखा व स्थान अभयारण्य क्षेत्र के वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता को अपनाते हुए वन्यजीवों को हो सकने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर करें व राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य क्षेत्र के आसपास सम सेण्ड ड्यून्स एवं खुहडी सेण्ड ड्यून्स पर मध्य रात्रि के समय तीव्र प्रकाश वाली लाईटों (फ्लेश लाईट/डिस्को लाईटो), तेज ध्वनि के स्त्रोंतो (स्पीकर, बूफर आदि) एवं अतिशबाजी का उपयोग नहीं करें।

साथ ही ड्यून्स के समीप स्थित रिसोर्ट संचालकों को साफ-सफाई, आतिशबाजी, तेज प्रकाश वाली लाईटों एवं तेज ध्वनि के यंत्रों का प्रयोग भविष्य में नहीं किए जाने हेतु पाबन्द करवाने का कष्ट करावें जिससे की अभयारण्य क्षेत्र में प्रवास करने वाले वन्यजीवों पर विपरित प्रभाव न पड़े।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर

क्रमांक : एफ ( )/विविध/उवसंवजीजै/2022-23/93-101   दिनांक 12-01-2023

प्रतिलिपि:

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक, जैसलमेर-सदस्य सचिव, जिला पर्यावरण समिति, जैसलमेर।
4. उपनिदेशक, पर्यटन स्वागत केन्द्र, जैसलमेर।
5. उप खण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
6. तहसीलदार, जैसलमेर/सम।
7. अध्यक्ष, सम वेलफयेर सोसायटी, जैसलमेर।

(हस्ताक्षर)
उप वन संरक्षक
वन्य जीव, जैसलमेर

म्याजलार रोड, जैसलमेर-345001 (राज.) फोन एवं फैक्स-02992-252489 E-Mail:dfowljsm@gmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, जैसलमेर

घर-घर औषधि योजना

केन्द्रीय बस स्टेंड के सामने,बाडमेर रोड़, जैसलमेर Email: dcfjsm@gmail.com

क्रमांकःएफ( )विकास / उवसं / 2022–23 / 504 दिनांकः– 25.01.2023

जिला पर्यावरण समिति जैसलमेर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 25.01.2023 बैठक कार्यवाही विवरण

जिला पर्यावरण समिति की त्रैमासिक बैठक जिला कलक्टर महोदया, जैसलमेर की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2023 को जिला कलक्टर सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संबधित विषयों पर निम्नानुसार चर्चा की गई :–

क. स.	चर्चा का बिन्दु	अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गये निर्देश	पालना द्वारा
1.	• पोलीथिन बैग्स की रोकथाम पर चर्चा	1. श्रीमान अध्यक्ष महोदया ने नगर परिषद जैसलमेर को निर्देश दिए कि अभी तक की गयी कार्यवाही अपर्याप्त है। सिर्फ छोटे व्यापारियों एवं ठेले वालों के विरूद्व कार्यवाही करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभावी कार्यवाही हेतु पॉलिथीन बैग्स के सप्लायर्स / डीलर्स के विरूद्व कार्यवाही की जावे। पोलीथीन बैग्स के भण्डारण स्थलों का निरन्तर समयबद्व निरीक्षण कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावे। 2. आयुक्त नगर परिषद जैसलमेर ने बताया कि प्लास्टिक बोतल को क्रेश करने वाली मशीन क्रय की जा चुकी है जिसे स्थापित करने हेतु बिजली विभाग से बिजली कनेक्सन की कार्यवाही की जा रही है। कनेक्सन मिलने पर शीघ्र ही आगामी बैठक से पूर्व शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में लगवा दिया जावेगा। 3. अध्यक्ष महोदया द्वारा गडीसर क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा मछलियों को ब्रेड खिलाने एवं उसके बाद प्लास्टिक इधर उधर फेंक दी जाती है जिस पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिये गये। 4. अध्यक्ष महोदया ने जिला परिवहन अधिकारी को भी जिले के ट्रांस्पोर्ट कारोबारियों को प्लास्टिक थैलियों को परिवहन न करने हेतु पाबन्द करने के निर्देश दिये तथा समय–समय पर इसकी गहन चैकिंग करने के निर्देश दिये।	1. समस्त उपखण्ड अधिकारी 1. नगर परिषद, जैसलमेर 2. नगर पालिका, पोकरण 3. समस्त तहसीलदार 4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी 5. जिला परिवहन अधिकारी
3.	• शहर की अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण पर चर्चा –	1. आयुक्त, नगर परिषद जैसलमेर द्वारा बताया गया कि वेस्टेज कन्जप्सन मशीन इन्वारमेंट क्लीयरेंस के बाद बडाबाग क्षेत्र में लगवा दी जावेगी। 2. डॉर टू डॉर कचरा संग्रहण के लिए 5 टैक्सियॉ और लगादी गयी है। जिला कलक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक वैस्ट पृथक–पृथक संग्रहण नहीं हो रहा है अतः इनका पृथक–पृथक	1. नगर परिषद, जैसलमेर 2. नगर पालिका, पोकरण 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर

		संग्रहण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। चयनित स्थल पर मेडिकल वेस्ट को पृथक से संग्रहित करें। हर घर में RFID लगी हुई है उसका प्रयोग कर व्यवस्था को उतम बनाया जावे। 3. नगर परिषद, जैसलमेर को शहर में अपशिष्ट पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में व्यापक जन जागरण अभियान चलाने के निर्देश दिये।	
4.	• अवैध खनन पर रोक एवं चर्चा–	1. खनि अभियन्ता द्वारा बताया गया कि ऐयर फोर्स क्षेत्र एवं प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज स्थल के आस पास क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर कार्यवाही कर रोकथाम की गयी है। 2. अवैध खनन की रोकथाम के लिये निरन्तर कार्यवाही की जा रही हैं। 65 प्रकरण के अन्तर्गत 76 लाख रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। 3. खनन अभियन्ता द्वारा बताया गया कि डी.एन.पी. क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध खनन को रोकने में कठिनाई है क्यों कि डी.एन.पी. क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। अध्यक्ष महोदया ने निर्देश दिये कि डी.एन.पी. क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के संबंध में उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर से सम्पर्क स्थापित कर उनके स्टाफ को साथ लेकर अवैध खनन के रोकथाम की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।	1. पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर 2. खनि अभियंता, जैसलमेर 3. उप वन संरक्षक जैसलमेर
5.	• मरू महोत्सव आयोजन के संबंध में	दिनांक 3 फरवरी से 5 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले मरू महोत्सव के अन्तर्गत सम एवं खुहडी क्षेत्र में होने वाले पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। मरूमहोत्सव के अन्तर्गत सम एवं खुहडी क्षेत्र में होने वाले पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर तत्कालीन उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर के द्वारा आपत्ती जताई गयी थी। चर्चा के दौरान उप खण्ड अधिकारी जैसलमेर ने बताया कि सम में प्रस्तावित पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के निकट लगभग 200 मीटर अन्दर है तथा सम गोडावण प्रजनन केन्द्र कार्यक्रम स्थल से लगभग 4 कि.मी. दूर होना बताया गया। खुहडी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम स्थल भी अभ्यारण्य सीमा के अन्दर एवं सीमा के करीब है। सभी सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान यह विचार व्यक्त किया गया कि जैसलमेर मरू महोत्सव कार्यक्रम अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखता है हजारों की संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं अभ्यारण्य सीमा में दिनांक 4.2.2023 एवं 5.2.2023 को खुहडी एवं सम पर प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम लगभग पिछले 30–35 वर्षो से आयोजित किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष में केवल एक दिन 2–3 घंटे का होता हे। चूंकि यह कार्यक्रम वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के बिल्कुल नजदीक है तथा उक्त स्थल पर वन्य जीवों का विचरण	1. तहसीलदार, जैसलमेर 2. नगर परिषद, जैसलमेर 3. उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर 4. उप वन संरक्षक जैसलमेर

		भी नहीं के बराबर है अतः वन्य जीवों को प्रत्यक्षतः व्यवधान होने की संभावना दृष्टिगत नहीं होती है अतः सभी सदस्यों द्वारा वन्य जीव अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की राय व्यक्त की गयी ताकि कोई कानूनी पेचिदगियाँ न हो। उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर ने बताया कि मरू महोत्सव कार्यक्रम, सम एवं खुहडी क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में करवाने के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए इस संबंध में मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राज. जयपुर से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। जिला कलक्टर महोदया द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	

अन्त में अध्यक्ष महोदया द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी

(जी.के.वर्मा)
सदस्य सचिव
जिला पर्यावरण समिति एवं
उप वन संरक्षक,
जैसलमेर

क्रमांक/सम/505–536

दिनांकः–25.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला कलक्टर, जैसलमेर।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर।
3. उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जैसलमेर।
4. उप वन संरक्षक, इंगानप स्टेज II, जैसलमेर
5. उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर।
6. तहसीलदार जैसलमेर।
7. उप निदेशक, कृषि विभाग, जैसलमेर।
8. मुख्य स्वास्थय एवं चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर।
9. पी.एम.ओ. जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, जैसलमेर।
11. सचिव नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
12. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर।
13. आयुक्त नगरपरिषद्, जैसलमेर।
14. अधिशाषी अभियंता RUSDIP, जैसलमेर।
15. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, जैसलमेर।
17. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर।
18. जिला परिवहन अधिकारी, जैसलमेर।
19. वाणिज्य कर अधिकारी, जैसलमेर।
20. सहायक निदेशक पर्यटन विभाग, जैसलमेर।
21. सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रिको, जैसलमेर।
22. प्रभारी अधिकारी, भू जल वैज्ञानिक, भू जल विभाग, जैसलमेर।
23. खनिज अभियन्ता, खनिज विभाग जैसलमेर।
24. जिला आबकारी अधिकारी, जैसलमेर।

25. निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, ए–26 धर्म नारायण जी का हथा, पावटा, जोधपुर।
26. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एसपीएल प्लाट नं. 2, मरूधरा इण्डस्ट्रीयल एरिया (एम.आई.ए.) बासनी फेस–I, जोधपुर।
27. प्रभारी अधिकारी, एफ.सी.आई. अरावली, जैसलमेर।
28. वरिष्ठ संरक्षक सहायक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उप मण्डल, स्टेशन रोड, जैसलमेर
29. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जैसलमेर।
30. सचिव जैसलमेर विकास समिति।
31. सचिव आई लव जैसलमेर।
32. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव
जिला पर्यावरण समिति एवं
उप वन संरक्षक,
जैसलमेर

कार्यालय जिला कलेक्टर जैसलमेर

क्रमांक:एफ( )सामान्य/2023/ 468 दिनांक : 25.01.2023
निमित्त :–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–डेजर्ट नेशनल पार्क क्षैत्र (अभ्यारण्य) में मरू महोत्सव 2023 के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के संबंध में।
संदर्भः–कार्यालय उप वन संरक्षक वन्य जीव जैसलमेर के पत्रांक 93–101 दिनांक 12.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्यटन विभाग,जयपुर एवं जिला प्रशासन, जैसलमेर द्वारा जैसलमेर में मरू महोत्सव का आयोजन दिनांक 3 से 5 फरवरी, 2023 को करवाया जाना है। मरू महोत्सव कार्यक्रम के दौरान दिनांक 4 एवं 5 फरवरी को कमशः खुहड़ी एवं सम में लगभग 2–3 घंटे का पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। उक्त सांस्कृतिक प्रोग्राम विगत कई वर्षों से इसी क्षैत्र में होता आया है। केवल इस वर्ष संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) द्वारा उप वन संरक्षक, वन्य जीव, जैसलमेर द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है। जहाँ यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है वह अभ्यारण्य की सीमा के अंदर एवं किनारे पर स्थित है। आज दिनांक 25.01.2023 को आयोजित जिला पर्यावरण समिति की त्रैमासिक बैठक (प्रति संलग्न) में अन्य एजेंडा बिन्दुओं के साथ मरू महोत्सव के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक में चर्चा के दौरान बताया गया कि पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम दिनांक 4 फरवरी को खुहड़ी एवं 5 फरवरी को सम में आयोजित किया जावेगा। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम मात्र 2–3 घंटे की अवधि में संपन्न होता है तथा एक वर्ष में केवल एक दिन आयोजित किया जाता है। जैसलमेर जिले में आयोजित मरू महोत्सव कार्यक्रम विश्व स्तर पर अपनी पहचान रखता है। सम एवं खुहड़ी क्षैत्र में कार्यक्रम स्थल राष्ट्रीय मरू उद्यान (अभ्यारण्य) की सीमा में एवं सीमा के निकट करीब 200 मीटर अंदर है तथा सम गोडावन ब्रिडिंग सेन्टर से खुहड़ी का कार्यक्रम स्थल लगभग 32 किलोमीटर दूर है और सम के कार्यस्थल से लगभग 04 किलोमीटर दूरी पर है (तहसीलदार सम की रिपोर्ट संलग्न है)। अतः प्रत्यक्षतः वन्य जीवों विशेषकर गोडावण को कोई व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना दृष्टिगत नहीं होती है। अतः सर्वसम्मति से समिति द्वारा अभ्यारण्य की सीमा में यह कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने की अनुशंषा की गयी है ताकि कोई कानूनी पेचिदगियों का सामना न करना पड़ें।

अतः दिनांक 4 एवं 5 फरवरी को खुहड़ी एवं सम में मरू महोत्सव कार्यक्रम जो कि पर्यटन की श्रेणी में आता है को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 28 (d) के तहत स्वीकृति प्रदान करने का श्रम करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर,जैसलमेर

क्रमांकः एफ ( )सामान्य./2023/ 469-70 दिनांक : 25/01/2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिति है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय,वन विभाग,राजस्थान,जयपुर।
2. उप वन संरक्षक,वन्य जीव जैसलमेर।

जिला कलक्टर,जैसलमेर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
संस्थानिक क्षेत्र राजस्थान, जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, राजस्थान, जयपुर

फोन नम्बर 0141–2700151 ई–मेल: cwlw.raj@gmail.com

क्रमांक: एफ 19 ( ) अनुमतियां/मुवजीप्र/2018/ 8383 दिनांक: 27-1-23

निमित्त,

जिला कलेक्टर
जैसलमेर।

विषयः–डेजर्ट नेशनल पार्क क्षेत्र (अभयारण्य) में मरू महोत्सव 2023 के अन्तर्गत पर्यटन संबंधी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के संबंध में।

संदर्भ:–आपका पत्र क्रमांक एफ ( ) सामान्य/2023/468 दिनांक 25.01.2023

महोदय,

विषयांतार्गत संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 4 व 5 फरवरी को खुहड़ी एवं सम में मरू महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटन गतिविधियों के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार पालना सुनिश्चित की जावें।

1. डेजर्ट नेशनल पार्क अभयारण्य का ईको सेन्सेटिव जोन निर्धारित नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाइन 06.05.2022 के अनुसार जिन गतिविधियों के लिये पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है, उक्त गतिविधियों के लिये वन्यजीव स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यदि आप द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों में पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता है तो वन्यजीव स्वीकृति की कार्यवाही करावें अन्यथा वन्यजीव संरक्षण हेतु उचित सावधानी रखते हुये गतिविधियां संपादित करें।
2. चूकि ये कार्यक्रम पूर्व के कई वर्षों से स्थानीय निवासियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है अतः पर्यटन संबंधी कार्यक्रम की अनुमति उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेर के पत्र क्रमांक 345 दिनांक 27.01.2023 (प्रति संलग्न) के अनुरूप अभयारण्य की प्रबंध योजना में उल्लेखित क्षेत्र में अल्पावधि के लिये वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के प्रावधानों की पालना के शर्ताधीन दी जाती है।
3. दीर्घकालिक व्यवस्था हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरिन्दम तोमर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक:

क्रमांक: एफ 19 ( ) अनुमतियां/मुवजीप्र/2018/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

1. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर।
2. उप वन संरक्षक वन्यजीव जैसलमेर को प्रेषित कर लेख है कि प्रस्तावित पर्यटन गतिविधियों के आयोजन में वन्यजीव संरक्षण हेतु जारी दिशा निर्देशों एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करावें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर